सत्यमेव जयते

अष्टादश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-3

बुधवार, तिथि 29 माघ, 1947 (श०) / 18 फरवरी, 2026 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 03

(1)	श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग	.. ..	02
(2)	पथ निर्माण विभाग	.. ..	01
		कुल योग --	03

मानदेय का भुगतान

48. श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य भर में आउटसोर्सिंग से नियुक्त किये गये कर्मचारी जिन्हें अस्पताल, नगर निगम आदि विभिन्न जगहों पर प्रतिनियुक्त किया जाता है तथा महीने में तीसो दिन काम लिया जाता है, परंतु उन्हें मात्र 26 दिन का ही मानदेय भुगतान किया जाता है, जिससे वे मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, यदि हाँ, तो सरकार राज्य भर में आउटसोर्सिंग से नियुक्त किये गये कर्मचारी को पूरे 30 दिन का मानदेय भुगतान कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि आउटसोर्सिंग से नियुक्त किये गये कर्मचारी को प्रत्येक 6 दिन कार्य के पश्चात् एक दिन का सवैतनिक अवकाश का प्रावधान है । न्यूनतम मजदूरी की दरें तदनुसार ही निर्धारित की जाती है ।

यदि किसी कर्मी से उसके साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य लिया जाता है तो दुगुने मजदूरी की दर से अधिकाल मजदूरी दिये जाने का प्रावधान है ।

रोप-वे का पुनर्निर्माण

49. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी (अ0जा0))--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 27 दिसम्बर, 2025 को प्रकाशित शीर्षक ''रोहतास रोप-वे ध्वस्त पिलर एक सीध में नहीं थे'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के चेनारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत रोहतास से चौरासन मंदिर (रोहितेश्वर धाम) पर जाने के लिए बना रोप-वे ट्रायल के दौरान ही ध्वस्त हो गया, यदि हाँ, तो क्या सरकार इस गंभीर घटना का उच्चस्तरीय जाँच कराते हुये दोषी संवेदक एवं अभियंताओं पर कार्रवाई करते हुये रोप-वे का पुनर्निर्माण कबतक कराने का विचार रखती हैं, नहीं, तो क्यों ?

उचित मजदूरी दिलाना

50. श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में बीड़ी श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 412 रुपया सरकार द्वारा अधिसूचित है, परंतु कोई भी बीड़ी कम्पनी बीड़ी श्रमिकों को मात्र 100 रुपया प्रति हजार बीड़ी बनाने का श्रमिक देते हैं, जिससे कि 8-10 घंटा मजदूरी करने के बावजूद 150 से 200 रुपया ही उन्हें पारिश्रमिक मिल पाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जमुई में लगभग 10 लाख, बिहारशरीफ में लगभग 2.5 लाख, सहरसा में लगभग 2 लाख, खगड़िया में लगभग 1.5 लाख सहित राज्य भर के लाखों बीड़ी श्रमिक लाचारी में जीवन-यापन करने को मजबूर हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त बीड़ी श्रमिकों को उचित मजदूरी दिलाने तथा उन्हें अन्य सुविधाएँ प्रदान करने हेतु कार्रवाई कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) बिहार सरकार द्वारा अक्टूबर, 2025 से बीड़ी श्रमिकों के लिए 444 रुपया प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी तय की गई है । न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करने पर दोषी नियोजकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है ।

जमुई जिला में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का अनुपालन नहीं करने वाले कुल 5 दोषी नियोजकों के विरुद्ध न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर के न्यायालय में दावा पत्र दर्ज किया गया है, उक्त दावा के विरुद्ध कुल 8 कामगारों को उनके बकाया मजदूरी का भुगतान कराया गया है ।

(2) अस्वीकारात्मक । भारत सरकार के ई-श्रम पोर्टल के अनुसार जमुई जिले में कुल 61,500 (इकसठ हजार पाँच सौ) नालन्दा जिले में कुल 4,947 (चार हजार नौ सौ सैंतालिस), सहरसा जिले में कुल 194 (एक सौ चौरानवे) और खगड़िया जिले में कुल 203 (दो सौ तीन) सहित पूरे बिहार राज्य में कुल 125453 (एक लाख पचीस हजार चार सौ तिरेपन) कामगारों ने स्वयं को तम्बाकू श्रमिकों के रूप में निबंधित किया है ।

बीड़ी श्रमिकों को संरक्षित करने के लिए बीड़ी एवं सिगार श्रमिक (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 का क्रियान्वयन किया जाता है । इसके अलावे राज्य सरकार द्वारा बीड़ी श्रमिकों सहित सभी असंगठित कामगारों के लिए बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 (यथा संशोधित) संचालित है ।

इस योजना के तहत (क) श्रमिकों के आश्रितों को दुर्घटना मृत्यु में रुपया 2,00,000 (दो लाख रुपया) (ख) स्वाभाविक मृत्यु में रुपया 50,000 (पचास हजार रुपया) (ग) पूर्ण स्थायी नि:शक्तता में रुपया 1,00,000 (एक लाख रुपया) (घ) स्थायी आंशिक नि:शक्तता में रुपया 50,000 (पचास हजार रुपया) (ङ) असाध्य रोग के लिए चिकित्सा सहायता के रुप में रुपया 15,000 (पन्द्रह हजार रुपया) से रुपया 60,000 (साठ हजार रुपया) (च) दुर्घटना के दौरान चोट लगने के स्थिति में आर्थिक सहायता के रूप में रुपया 10,000 (दस हजार रुपया) एवं (छ) छात्रवृत्ति अनुदान के रूप में रुपया 2,500 (दो हजार पाँच सौ रुपया) से रुपया 10,000 (दस हजार रुपया) दिया जाता है।

(3) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

पटना :
दिनांक 18 फरवरी, 2026 (ई0) ।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0मु0 34(एल0ए0), 2025-26-डी0टी0पी0-600

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2026